

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर — 492002 (अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक — भू—प्रबंध)

दूरभाषः 0771 — 2512840

ई — मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/मू-प्रबंध/विविध/115-784/ 16 9 6 प्रति. रायपुर, दिनांक24/07/2021

प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर

विषय:

Diversion of 1.732 ha.forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for "Widening of the existing PMGSY road from the Village Salhepallli to Kotrimal, from Auraimuda to teram and at village Kanchanpur revenue forest in Raigarh Forest Division – reg.

(पंजीयन क. FP/CG/ROAD/39744/2019)

संदर्भ:--

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/IROCH-03/2021-NGP/12 दिनांक 23.02.2021
- 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1694 दिनांक 02.07.2021

--0---

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र — 1 द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मण्डल में Widening of the existing PMGSY road from the Village Salhepallli to Kotrimal, from Auraimuda हेतु प्रस्तावित रकबा 1.732 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

चक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा संदर्भित पत्र—2 के माध्यम से प्रेषित किया है, जो बिन्दुवार निम्नानुसार है:—

	9	
S.No.	Conditions	Compliance Status
I	Legal status of the forest land shall remain	वन भूमि का वैधानिक स्वरुप अपरिवर्तित रहेगा,
	unchanged;	संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र की गयी है।
IJ	Compensatory afforestation	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10
(a)	Compensatory afforestation shall be taken up	वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र
	by the Forest Department over 3.464 ha.	रकबा 3.464 हे. के लिए उपयुक्त स्थल चयन कर
	Orange Area of Comp. No. Baigabahri OA at	वर्तमान दर रु. 726270.00 अनुसार राशि
	Village- Pusalda in Raigarh District at the cost	2515799.00 (रुपये पच्चीस लाख पन्द्रह. हजार
	of the user agency. As far as possible, a	सात सौ निन्याबे रुपये) मात्र कार्पोरेशन बैंक, नई
	mixture of local indigenous species along with	दिल्ली में ई पोर्टल के माध्यम से RTGS क्रमांक
	10% RET species of Raigarh District shall be	Ref No. CMS1870848257 दिनांक 23.03.
	planted and monoculture of anyspecies may be	2021 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया
	avoided;	गया है। वित्तीय वर्ष 2021—22 की नवीन दर राशि
		रु. ७९८८९७७.०० अनुसार अंतर की राशि रु.

•	. ~	
·	T	. :
£.3	ليدأو	
- 3	٤٠	1
	4	

		251580.00 (रुपये दो लाख ईनकावन हजार पांच
		सौ अस्सी मात्र) कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में ई
		पोर्टल के माध्यम से RTGS क्रमांक Ref No.
		CMS1982381551 दिनांक 17.06.2021 को
		आवेदक संस्थान द्वारा जमा कर दिया गया है।
	TT O A shall be	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र
(b)	The Orange Area proposed for CA shall be	संलग्न है।
	transferred and mutated in the name of Forest	सलगह।
	Department and notified as RF/PF prior to	
	Stage-II approval. A copy of the original	
	notification declaring the non-forest land	
	under Section 4 or Section 29 of the	
	IndianForest Act, 1927, or under the relevant	·
	section of the State Forest Act as the case	
	maybe, will be submitted by the State	
	Government prior to Stage-II approval;	
III	The cost of compensatory afforestation at the	आवेदित क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी.
	prevailing wage rates as per compensatory	पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग
	afforestation scheme and the cost of survey,	अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु
	demarcation and erection of permanent pillars	प्राक्कलित राशि अनुसार रु. 637725.00 (रुपये छः
	if required on the CA land shall be deposited	लाख सैतीस हजार सात सौ पच्चीस रुपये) मात्र
	in advance with the Forest Department by the	वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड
	project authority. The CA will be maintained	ड्राफ्ट क्रमांक 454852 दिनांक 24.03.2021 प्राप्त
	for 10 years. The scheme may include	कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है।
	appropriate provision for anticipated cost	
	increase for works scheduled for subsequent	
	years;	
IV(a)	The State Government shall charge the Net	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) में आंकलित राॉश
	Present Value (NPV) for the 1.732 Ha. Forest	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 28.
	area to be diverted under this proposal from	03.2008, 24.04.2008, एवं 09.05.2008 के
	the User Agency as per the order of the	आदेशानुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक
	Hon'ble Supreme Court of India dated	5—3/2007— एफ.सी. दिनाक 05.02.2009 के
	30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008,	द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यपवर्तित की
	24/04/2008. and 09-05-2008 in IA No. 566 in	जाने वाली वनभूमि रकबा 1.732 हे. लिए शुद्ध
	WP (C) No. 202/1995 and as per the	प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास—
	guidelines issued by the Ministry vide letters	III खुला वन अनुसार प्रति हे. 626000.00 अनुसार
	No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as	राशि रु. 1084232.00 (रुपये दस लाख चौरासी
	well as letter No. 5-2/2006-FC dated	हजार दो सौ बत्तीस) मात्र कार्पोरेशन बैंक, नई
	03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009	दिल्ली में ई पोर्टल के माध्यम से RTGS क्रमांक
	in this regard;	Ref No. CMS1870848257 दिनांक 23.03.
		2021 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया
		गया है।
IV(b)	Additional amount of the NPV of the diverted	
	forest if any becoming due after finalization of	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रुप देने के

		the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert committee, shall be charged by the State Govt. from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	पश्चात यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है, तो संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। इस आशय का संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
	V	User agency shall restrict the felling of trees to	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गई है। 4 वृक्षों
		minimum number in the diverted forest land	के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु.
		and the tree shall be felled under the strict	
			26088.00 (छब्बीस हजार अठासी रुपये मात्र)
		supervision of State Forest department and the	ड्राफ्ट क्रमांक ४५४८५२ दिनांक २४.०३.२०२१ एवं
		cost of felling of trees shall be deposited by	216 वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि
		the User agency with the State Forest	रु. ७०२९५.०० (सत्तर हजार दो सौ पन्चान्वे रुपये
		Department.	मात्र) ड्राफ्ट क्रमांक ०८९८४६ दिनांक ०२.०६.२०२१
ĺ			द्वारा वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड
ļ			ड्राफ्ट प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया
			है।
	VI	All the funds received from the user agency	उपरोक्तानुसार समस्त राशि Ad-hoc CAMPA
		under the project shall be transferred/	कार्पोरेशन बैंक में ई-पोर्टल के माध्यम से चालान
		deposited to CAMPA fund only through e-	जनरेट कराकर जमा किया गया है। इस हेतु
		portal (https://parivesh.nic.in/);	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
	VII	The complete compliance of the FRA, 2006	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र
		shall be ensured by way of prescribed	संलग्न है।
		certificate from the concerned District	
		Collector.	
	VIII	User Agency shall obtain Environmental	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र
		clearance as per the provisions of the	संलग्न है।
		Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	
-	IX	The instant road shall be used as public road.	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र
-	17	1	संलग्न है।
		The User agency in consultation of State	आवश्यकता नही है।
	X	Forest Department shall raise strip plantation	जावर वचनता । १८१ छ १
		on both sides of the road, a detail scheme in	
		this regard shall be submitted along with	
L	377	Stage-I compliance report. To improve the Forest / Tree cover and to	ले–आउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन
	XI	reduce pollution, as mandated in National	नहीं किया जावेगा। इस हेतु संस्थान का वचन पत्र
		Forest Policy, 1988 and Environmental	संलग्न है।
		(Protection) Act, 1986 respectively, the User	(सला ६।
		Agency shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 5,000 seedlings	
		of forestry species along with bamboo, fruit	
		bearing, medicinal, ornamental and	
	•	indigenous/local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in	
		the vicinity of project area including forest	
		area and for hand holding with local people	
		residing in vicinity of proposed road, User	
		Agency shall voluntary distribute remaining	
		50% of seedlings to them free of cost. A	



XII	compliance report including species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central	संस्थान द्वारा वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक
	Government;	संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
XIII	No labour camp shall be established on the forest land;	संस्थान द्वारा श्रमिकों को ईंधन उपलब्ध कराया जावेगा, ताकि वनस्पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो इस हेतु संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
XIV	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest department or the Forest Development corporation or any other legal source of alternate fuel.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमित दी गई है। 4 वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 26088.00 (छब्बीस हजार अठासी रुपये मात्र) ड्राफ्ट क्रमांक 454852 दिनांक 24.03.2021 एवं 216 वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 70295.00 (सत्तर हजार दो सौ पन्चान्वे रुपये मात्र) ड्राफ्ट क्रमांक 089846 दिनांक 02.06.2021 द्वारा वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है।
XV	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
XVI	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.	संस्थान द्वारा सहमित दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
XVII	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	संस्थान द्वारा सहमित दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
XVIII	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	भारत सरकार के अनुमित के बिना प्रस्तावित व्यपवर्तित भूमि को किसी भी व्यक्ति, विभाग या एजेन्सी को हस्तांतरण नहीं किया जावेगा। इस हेतु संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
XIX	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
XX	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।

1	837

XXI	Any other conditions that the MOEF & CC may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest and wildlife.	
XXII	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

सलग्न:-

संलग्नक 1 से 38 तक 02 प्रति में

वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित

(सुनील मिश्रा) अ.प्र.मु.व.स (मू—प्रबंध / वं. स. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/विविध/115— 784/ (८९२)

रायपुर, दिनांक 🐴/07/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन), अरण्य भवन, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़।

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ।

- क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 23.02.2021 की सहपित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमित जारी की जाती है। किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नाम्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे।
 - वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमित प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी. डी खाते से आहरण की अनुमित पृथक से भू—प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
- 3. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
- 4. Chief General Manager, NTPC Talaipali Coal Mining Project, Lailunga Road Gharghoda, Raigarh (C.G.).

अ.प्र.मु.व.स (मू-प्रबंध /वं. स. अ) काट छत्तीसगढ़